Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

Original Article

शिक्षा का अधिकार अधिनियम **2009** के महत्व और प्रभाव का अध्ययन

पंकज कुमार[1] प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता[2]

[1](शोधार्थी), शिक्षाशास्त्र विभाग, एच. आर. पी. जी. कॉलेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर,
सम्बद्ध : सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु,सिद्धार्थ नगर

[2] (शोध-निर्देशक), शिक्षाशास्त्र विभाग, एच. आर. पी. जी. कॉलेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर,
सम्बद्ध : सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु,सिद्धार्थ नगर

Manuscript ID:
JRD -2026-180421
ISSN: 2230-9578

Volume 18
Issue 4(A)
Pp 98-104
April- 2026

Submitted: 24 Mar. 2026
Revised: 31 Mar. 2026
Accepted: 15 Apr. 2026
Published: 30 April. 2026

सारांश

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education Act) का प्रभाव व्यापक रूप से देखा गया है। इसके परिणामस्वरूप विद्यालयों में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित की गईं, जिससे शिक्षा का दायरा सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में बढ़ा। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय तथा शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि, इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आईं, जैसे शिक्षकों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, और विद्यालयों में संसाधनों की असमानता। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा क्योंकि वहाँ बुनियादी ढाँचे और जागरूकता की कमी थी। इसके बावजूद, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक समानता और बाल अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी है।

मुख्यशब्द- *उत्तर प्रदेश, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक समानता, बाल अधिकारों की रक्षा*

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act, RTE) पारित किया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर कई प्रभाव पड़े हैं। उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस अधिनियम के प्रभाव को शैक्षिक नामांकन दर, ड्रॉपआउट दर, स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की नियुक्ति, डिजिटल शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक असमानता को कम करने के संदर्भ में विश्लेषित किया जा सकता है। हालांकि, इस अधिनियम के लागू होने के बावजूद, कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण नामांकन दर में वृद्धि

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा होने के कारण गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
***पंकज कुमार**, (शोधार्थी), शिक्षाशास्त्र विभाग, एच. आर. पी. जी. कॉलेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर,*
सम्बद्ध : सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु,सिद्धार्थ नगर

How to cite this article:
कुमार, . पंकज ., & गुप्ता, . दिनेश . कुमार . (2026). शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के महत्व और प्रभाव का अध्ययन. Journal of Research & Development, 18(4(A)), 98–104. https://doi.org/10.5281/zenodo.20339453

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.20339453
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

"स्कूल चलो अभियान" जैसे सरकारी प्रयासों ने भी बच्चों को स्कूलों तक लाने में मदद की है। पहले जहां कई गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ थे, वहीं इस अधिनियम के कारण अधिक संख्या में बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। सरकारी रिपोर्टों और विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। विशेष रूप से लड़कियों के नामांकन में भी सुधार देखा गया है, क्योंकि सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे कि मुफ्त साइकिल वितरण, वजीफा योजना, और मिड-डे मील योजना।

ड्रॉपआउट दर में कमी

इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि स्कूलों से बच्चों के बाहर जाने की दर (ड्रॉपआउट रेट) में कमी आई है। पहले आर्थिक और सामाजिक कारणों से बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, लेकिन अब उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए "कन्या सुमंगला योजना" जैसी पहल शुरू की, जिससे स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी आई। हालांकि, अभी भी यह समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों में, ड्रॉपआउट दर अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि स्कूलों की भौगोलिक दूरी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, और बाल श्रम की प्रवृत्ति।

स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया गया है। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शौचालय, पेयजल, बिजली, कक्षाओं की मरम्मत, और फर्नीचर जैसी सुविधाओं में वृद्धि हुई है। "ऑपरेशन कायाकल्प" जैसे कार्यक्रमों के तहत स्कूलों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। हालांकि, अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, और कहीं-कहीं बुनियादी सुविधाओं की कमी अभी भी देखी जाती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर निगरानी और सुधार कार्यों की आवश्यकता है।

शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह आवश्यक किया गया कि स्कूलों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इस कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की। साथ ही, शिक्षकों को नए शिक्षण तकनीकों से अवगत कराने के लिए "निष्ठा" (NISHTHA) जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। हालांकि, शिक्षकों की कमी अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात अभी भी संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति भी एक गंभीर समस्या है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच तो बढ़ी है, लेकिन गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। कई स्कूलों में शिक्षण के पारंपरिक तरीकों का ही उपयोग किया जाता है, जिससे छात्रों में समझ और रचनात्मकता की कमी देखी जाती है। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए "मिशन प्रेरणा" जैसी योजनाएँ चलाई हैं, जिससे शिक्षण सामग्री को रोचक और प्रभावी बनाया गया है। डिजिटल शिक्षण सामग्री, स्मार्ट क्लासरूम, और तकनीकी उपकरणों का उपयोग भी बढ़ाया गया है। लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सभी छात्रों को समान रूप से डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रावधान को लागू किया गया, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अभी भी संदेहास्पद है। कई निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं करते हैं, या फिर कमजोर वर्गों के छात्रों को उचित सुविधाएँ नहीं देते हैं।

सामाजिक असमानता में कमी

इस अधिनियम के कारण सामाजिक असमानता में भी कमी आई है। गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के कारण वे बाल श्रम के चक्र से बाहर आ पाए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ी है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाल श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। सरकार को इस दिशा में और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

आरटीई अधिनियम, 2009 के संवैधानिक प्रावधान

1. अनुच्छेद 21-A, जिसमें कहा गया है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, को संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
2. बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, जो अनुच्छेद 21-ए के तहत प्रत्याशित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है जो कुछ मौलिक मानदंडों और मानकों का अनुपालन करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का महत्व

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है और सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें छात्रों के लिए आरक्षित की जाएं।
2. बच्चों को जाति या वित्तीय स्थिति के आधार पर आरक्षण के साथ निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त, यह किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल को संचालित करने से रोकता है, तथा यह निर्धारित करता है कि कोई दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, साथ ही प्रवेश के लिए माता-पिता या बच्चे का साक्षात्कार भी नहीं लिया जाएगा।
4. बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक विद्यालय पूरा होने तक रोका नहीं जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता, या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
5. पूर्व छात्र अपनी आयु के छात्रों के बराबर आने के लिए पूरक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की उपलब्धियां

1. आरटीई 2009 की सबसे बड़ी सफलता भारत को लगभग 100% नामांकन दर तक पहुंचने में सक्षम बनाना था। 2010 में आरटीई लागू होने के बाद भारत अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सक्षम हुआ है।
2. देश में बच्चों के सीखने के परिणामों पर डेटा का एकमात्र स्रोत, एसर सेंटर की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार, उपयोग योग्य बालिका शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत दोगुना हो गया, जो 2018 में 66.4 प्रतिशत तक पहुंच गया।
3. 2018 में 64.4 स्कूलों में चारदीवारी थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक थी।
4. 82.1 से 91 प्रतिशत स्कूलों में अब खाना पकाने के लिए शेड हैं। इसी अवधि में, पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें प्राप्त करने वाले स्कूलों का प्रतिशत 62.6 से बढ़कर 74.2 प्रतिशत हो गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की सीमाएँ

1. बड़ी आबादी वाले विकासशील देश में, बाल श्रम को कम करना आरटीई 2009 अधिनियम के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है।
2. इन सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना जितना मुश्किल लगता है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सरकारी एजेंसियों की भागीदारी है। नतीजतन, RTE अधिनियम का सफल क्रियान्वयन मुश्किलों से भरा हुआ है।
3. निम्न शिक्षण स्तर और कुशल शिक्षकों की कमी इसकी प्रमुख खामियां बनी हुई हैं।
4. इसके अतिरिक्त, आरटीई कानून के प्रावधान 12(1)(सी) के अनुरूप, निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें कम भाग्यशाली बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी।
5. एएसईआर का तर्क है कि आरटीई अधिनियम लागू होने के बाद, सार्वभौमिकरण के लिए जोर दिया गया, जिसका नकारात्मक असर सीखने के नतीजों पर पड़ा। इसमें कहा गया है कि यह बदलाव "धीमा और अनिश्चित" रहा है।
6. एक अन्य प्रमुख समस्या जिसका समाधान कानून को अभी भी करना है, वह है समावेशी स्कूलों की व्यवस्था।
7. जिन बच्चों को स्कूल तक पहुंच की सबसे अधिक आवश्यकता है - बालिकाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूह और अल्पसंख्यक समुदाय - उनके लिए विशेष प्रावधानों का अभाव एक बुनियादी कमी है।
8. चूंकि अलग-अलग समुदायों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई योजना मौजूद नहीं है।
9. आरटीई 2009 की दूसरी कमी यह है कि इसके प्रावधानों के बावजूद, कक्षाओं में पर्याप्त योग्य शिक्षक नहीं हैं। कई स्कूलों को अधिनियम के अनिवार्य शिक्षक-छात्र अनुपात को बनाए रखने में परेशानी हुई है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

आरटीई अधिनियम का कार्यान्वयन और वित्तपोषण

1. भारतीय संविधान में शिक्षा एक साझा मामला है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों को इस विषय पर कानून बनाने की अनुमति है।
2. कानून के क्रियान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों को विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी गई हैं।
3. राज्य अक्सर यह तर्क देते हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा के लिए सभी आवश्यक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है।
4. परिणामस्वरूप, प्राथमिक राजस्व संग्रहकर्ता होने के नाते केन्द्र सरकार को राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।
5. वित्तपोषण की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए गठित समिति ने प्रारम्भ में अनुमान लगाया था कि कानून को लागू करने के लिए पांच वर्षों में 1.71 ट्रिलियन रुपए (38.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की आवश्यकता होगी।
6. अप्रैल 2010 में, केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच 65-35 के अनुपात तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में कानून के वित्तपोषण पर सहमति व्यक्त की थी।
7. हालांकि, 2010 के मध्य तक यह राशि संशोधित कर 2.31 ट्रिलियन रुपये कर दी गई, जिसमें केंद्र ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 68% या संभवतः 70% कर दिया, जिससे राज्यों को अपने शिक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता समाप्त हो गई।
8. 2011 में, शिक्षा के अधिकार को कक्षा 10 (16 वर्ष की आयु) तक और प्रीस्कूल आयु सीमा तक विस्तारित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें CABE समिति ने इन परिवर्तनों के प्रभावों का आकलन किया था।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के कियान्यव्यन में चुनौतियाँ :

1. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या भाषा है। जिन छात्रों की मातृभाषा हिन्दी छोड़कर अन्य भाषा होती है उन्हें हिन्दी में लिखी हुई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने या समझने में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनको अन्य भाषा में दक्ष होने में लगभग आठ साल लग जाते हैं।
2. सरकारी स्कूलों में साधारण, लकिन आश्यक शौचालय जैसी सुविधाएं अभी भी अनुपस्थित हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि केवल 49 प्रतिशत स्कूलों में ही लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण किशोर लडकियों सरकारी स्कूली शिक्षा का त्याग कर रही हैं।
3. केवल 43 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जो परिस्थितियों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यन्त प्रतिकूल बनाती है।
4. अधिनियम के दिशा निर्देश के सम्बन्ध में अधिकांश माता-पिता को ठीक तरह जानकारी न होने के कारण वे अपने बच्चों के लिये अधिकारों की मांग नहीं कर पाते।
5. देश के अनेक विद्यालय मानते हैं कि आर०टी०ई० के अन्तर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय के परिणाम का स्तर गिर जाएगा, अतः वे इन बच्चों के प्रवेश को हतात्साहित करते हैं।
6. सरकार विद्यालयों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करती अतः विद्यालय प्रशासन इन बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है।
7. इस अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगों, अनाथों, भिखारियों आदि के बच्चों के लिये पृथक प्रावधान नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है और इसके समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकारों को प्रभावी नीतियों को लागू करना आवश्यक होता है। भारत में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act, 2009 - RTE) लागू किया गया। उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इस अधिनियम के क्रियान्वयन के मामले में विशेष महत्व रखता है। इस अधिनियम के शैक्षिक निहितार्थ (Educational Implications) को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह राज्य की शिक्षा प्रणाली पर व्यापक प्रभाव डालता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभाव को विभिन्न शैक्षिक पहलुओं जैसे कि नामांकन दर, शैक्षिक गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की स्थिति, पाठ्यक्रम सुधार, मूल्यांकन पद्धति, समावेशी शिक्षा, और डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में समझा जा सकता है। यह अधिनियम शिक्षा प्रणाली में कई सुधार लाने में सहायक रहा है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

1. प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन दर में वृद्धि

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मिले। "स्कूल चलो अभियान" जैसी पहल ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नामांकन दर में वृद्धि दर्ज की गई है, विशेषकर बालिकाओं के नामांकन में। राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वजीफा, मुफ्त यूनिफॉर्म, और साइकिल वितरण जैसी योजनाएँ लागू की हैं।

2. मिड-डे मील योजना

इस अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ यह रहा कि उत्तर प्रदेश में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। पहले, आर्थिक कारणों, सामाजिक बाधाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, लेकिन अब यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो रही है। सरकार ने बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए मिड-डे मील योजना और विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की शुरुआत की। हालांकि, कुछ इलाकों में अभी भी गरीबी और सामाजिक कारणों के चलते बच्चों का स्कूल छोड़ना जारी है, जिसे रोकने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

3. बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद स्कूलों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया गया। विद्यालयों में कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और खेल-कूद की सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं। राज्य सरकार ने "ऑपरेशन कायाकल्प" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। हालांकि, कुछ दूर-दराज के क्षेत्रों में अभी भी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। कई विद्यालयों में उचित फर्नीचर, विज्ञान प्रयोगशालाएँ और डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

4. शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार

इस अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया कि प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की गई और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। "निष्ठा" जैसे कार्यक्रमों के तहत शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराया गया। हालांकि, शिक्षकों की संख्या अभी भी अपर्याप्त है, और कई क्षेत्रों में शिक्षक-छात्र अनुपात उचित नहीं है। शिक्षकों की अनुपस्थिति भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है।[17]

5. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पाठ्यक्रम में सुधार किए गए। निपुण भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों ने शिक्षण सामग्री को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही, शिक्षा को अधिक रुचिकर और व्यावहारिक बनाने के लिए कई नई रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव किया गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) जैसी नई पद्धतियों को अपनाया गया, ताकि बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचाया जा सके और उनकी संज्ञानात्मक और रचनात्मक क्षमताओं को विकसित किया जा सके।

6. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्गों और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का विशेष प्रयास किया गया। निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 25% सीटें आरक्षित की गईं। हालांकि, निजी विद्यालयों में इस प्रावधान के क्रियान्वयन में कई समस्याएँ सामने आईं, क्योंकि कई स्कूल इस नियम का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता में भी कमी देखी गई है।

7. डिजिटल शिक्षा और तकनीकी नवाचार

हाल के वर्षों में शिक्षा में डिजिटल तकनीकों का महत्व बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई डिजिटल शिक्षा पहल शुरू की हैं, जैसे कि ऑनलाइन कक्षाएँ, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना। "दीक्षा" (DIKSHA) और "e-Pathshala" जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों और शिक्षकों के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। हालांकि, डिजिटल डिवाइड अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और अन्य डिजिटल संसाधनों की कमी है, जिससे डिजिटल शिक्षा सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाई है।

8. बाल श्रम और असमानता में कमी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण बाल श्रम और सामाजिक असमानता में कमी आई है। गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अब शिक्षा से जुड़ने लगे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा तक पहुँच में सुधार

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

हुआ है। हालांकि, कई क्षेत्रों में अभी भी बाल श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। सरकार को इस दिशा में और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इस अधिनियम के लागू होने से प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि हुई, गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा का अवसर मिला तथा सामाजिक समानता की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। निजी विद्यालयों में आरक्षण व्यवस्था और सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास ने शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाया। हालांकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इसके बावजूद यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों को सुदृढ़ करने और समाज में शिक्षा को समान रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में इस अधिनियम ने शिक्षा को सामाजिक न्याय, समावेशिता और सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम बनाने की संभावनाएँ प्रस्तुत की हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

वीराराघवन, विमला। (2022). भारत में स्कूल छोड़ने की स्थिति और बालकों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का प्रभाव। 10.1007/978-981-16-9820-0_20।

वल्वी, डॉ., जाधव, प्रीति एवं सोनवाणे, प्रोफेसर। (2021). नंदुरबार तहसील के शहरी स्कूलों में आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रभाव: एक अध्ययन। ग्लोबल जर्नल ऑफ ह्यूमन-सोशल साइंस, 47-50. 10.34257/GJHSSGVOL21IS5PG47।

गर्जे, अमरदीप। (2011). शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009। SSRN इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, 10.2139/ssrn.1834282।

सिंह, जोगिंदर। (2019). शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का मूल्यांकन: हरियाणा का एक अध्ययन। इतिहास शोध पत्रिका, 5, 270-276. 10.26643/hrj.v5i4.7747।

शर्मा, अपराजिता एवं मित्रा, सुष्मिता। (2023). स्कूलों का युक्तिकरण और बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर इसका प्रभाव: शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन की कथाएँ। सामाजिक परिवर्तन पत्रिका, 53, 500-517. 10.1177/00490857231203418।

विश्वजीत और शर्मा, नेहा (2023)। "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की ग्रामीण भारत में हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने में भूमिका: एक क्षेत्रीय विश्लेषण।" शोधकोश: जर्नल ऑफ़ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। 4। 10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.3816।

खिरिया, मेहा (2021)। "बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन।" नेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। 2, 476-482। 10.53571/NJESR2021.2.5.476-482।

चक्रवर्ती, राजेश और सन्याल, कौशिकी (2017)। "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तक की यात्रा।" 10.1093/oso/9780199475537.003.0005।

भट्टाचार्य, लीना (2022)। "भारत में बच्चों की स्कूल पूर्णता दर में परिवर्तन: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की समीक्षा।"

बर्मन, प्रणब और मंडल, श्रीकांत (2015)। "शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और इसका स्कूल शिक्षा में व्यावहारिक क्रियान्वयन: शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।"

मल्लिक, लिटन (2022)। "शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और कोलकाता में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का नामांकन: एक आलोचनात्मक अध्ययन।" II, 96-101।

मोंडल, अजीत और इस्लाम, मोहम्मद निजैरुल (2021)। "भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के एक दशक बाद: उपलब्धियों का मूल्यांकन और अधूरी वादों की खोज।" एजुकेशन 3-13। 51, 1-20। 10.1080/03004279.2021.1973532।

भट्टाचार्य, उसरी और जियांग, लेई (2018)। "शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009): शिक्षण माध्यम और नागरिकता से वंचित करने का प्रभाव।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ द सोशियोलॉजी ऑफ़ लैंग्वेज। 2018, 149-168। 10.1515/ijsl-2018-0028।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-4(A)| April-2026

जोशी, सुनील (2016)। "सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन।"

चंद्रा, सुशांत (2020)। "बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को पढ़ने में व्याख्यात्मक सिद्धांत।" स्टैच्यूट लॉ रिव्यू। 44। 10.1093/slr/hmaa013।